तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	(1)
	न्याय आपके द्वार अभियान - 2018
9.5.18	पत्रावली कैम्प कोर्ट लिहारी मे पेश हुई वादी व प्रतिवादी संख्या 1 स्वयं उपस्थित प्रतिवादी सं. 2 ने सिविल न्यायालय का आदेश दिनांक 13.8.15 की प्रति पेश की और राजस्व निरीक्षक द्वारा मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश की जाकर निवेदन की गयी वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम लिहारी के हाल खसरा नम्बर प.133 रकबा 0.717 की आराजी की खातेदारी की है उक्त आराजी के पड़ोस मे स्थित खसरा नम्बर प.128 व प.123 पर प्रतिवादीगण काबिज है।. प्रतिवादीगण ने बिना कोई अधिकार करके हो कर प.133 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर पक्का निर्माण करने का प्रयास किया व वादी की भूमि पर अतिक्रमण करना चाहते है अतः प्रतिवादीगण को बतौर स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वे वादग्रस्त आराजी पर किसी प्रकार का निर्माण नही करे व वाद विचारण के दौरान हुए कोई निर्माण इत्यादि को हटा कब्जा दिलाया जावे प्रतिवादी संख्या 1 ने उपस्थित हो कर बयान किया कि उनके द्वारा मौके पर वर्तमान मे कोई निर्माण नही कराया जा रहा है तथा

रा.मु.बी. 221-12-2010-5,00,000 फार्म

APP-A
crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत ____ मुकाम ____

____ बनाम ____

किस्म मुकदमा ____ नं. ____ सन् ____

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(2)	
	प्रतिवादीगण स्वयं भी मौके पर ही काबिज है। राज.पैरोकार ने वर्तमान मौकास्थिति व पूर्व का तैनात मौका फर्द प्रस्तुत किया। पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया प्रतिवादी सं 1 व प्रतिवादी सं 2 (6) एक ही परिवार के सदस्य है प्रकरण से संबंधित अवमानना प्रा. पत्र संख्या 52/15 के प्रतिवादी सं 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त आराजी वादी के स्थान अन्य व्यक्तियों की खातेदारी दर्ज है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी पर कोई हक व अधिकार नहीं है। अवमानना प्रा.पत्र के अंकित रिपोर्ट अनुसार वर्तमान के मौके पर कोई निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त आराजी के वर्तमान नक्शे से सीमाओं की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है। उभयपक्ष के मध्य समान वादग्रस्त आराजी बाबत प्रकरण	
	..2..	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर हुक्म जो हुक्म में जारी
	(3)	

सिविल न्यायालय [illegible] में विचाराधीन है जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रा. पत्र जो वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है दिनांक 13.8.15 को दाखिल किया जा चुका है

वादी उक्त आराजी का सहखातेदार है अतः प्रथम दृष्टया केस वादी सिद्ध होता है। प्रतिवादीगण द्वारा उक्त आराजी पर निर्माण कार्य किया जाता है तो वादी के हितो पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा अतः सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति की संभावना भी वादी सिद्ध होती है।

वादी व प्रतिवादी ने प्रकरण के [illegible] नहीं की इसी स्तर पर प्रकरण का निस्तारण चाहा है। वादग्रस्त आराजी निर्विवाद रूप से वादी व अन्य व्यक्तियों की सहखातेदारी में है प्रतिवादीगण व वादी के मध्य विवाद मुख्य [illegible] का ही है।

अतः ग्राम [illegible] के हाल खसरा नंबर [illegible] रकबा 0.77 हे. की आराजी पर वादी का वाद "स्वीकार" किया जाता है। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य व दखलंदाजी नहीं करें पक्षकार [illegible] स्वयं वहन करें। इस आदेश की [illegible] जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो कर [illegible] हो दाखिल दफ्तर हो।

पीठासीन अधिकारी

लोक अदालत/कैम्प कोर्ट :

न्याय आपके द्वार 2018

कैम्प कोर्ट :– तिहारी

डिकी व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

चतुर्भुज बनाम राधाकिशन

दावा बाबत :– 188 राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 64 / 2015
पेश करने की दिनांक – 22.6.15

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री विरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक रविन्द्र शर्मा मुद्दई स्वयं व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम तिहारी के हाल खसरा नम्बर 4133 रकबा 0.77 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी मुतनाजा पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य व दखलदांजी नही करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करें।

बउखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज 09 माह मई सन् **2018** को जारी की गयी।

मुद्दई मुदायला

स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	

मिजान मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद